

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा.....मुकाम.....भादरा.....
.....जयलालबनाम्.....बीरबल आदि

किस्म मुकदमा..... RTAct. 212नं० 43/17सन्..... 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख फर्द
अहकाम की हुक्म की
तामील जारी हुआ

Rw

20/6/18

पत्राली जार्वना पत्र
नहीं चलाना चाहता है
पत्राली पत्र
withdraw करने
की अनुमति प्रदान
करे

पत्राली देना हुआ। शर्धी स्वयं व बन्धील
शर्धी उपस्थित। शर्धी व बन्धील शर्धी ने
शर्धीना पत्र withdraw करने की अनुमति
प्रदान करने की शर्धीना की मूल बाद वाली
द्वारा withdraw किए जाने पर जांच
किया जा चुका है। मूल बाद जांच किए
जाने के पश्चात शर्धीना पत्र का कार्य ऑपरेटिव
नहीं है व शर्धी स्वयं भी शर्धीना पत्र withdraw
करना चाहता है। अतः शर्धी की
शर्धीना स्वीकार की जाती है। शर्धीना मंत्र
212 RTA खारिज किया जाता है व दिनांक
26.7.17 को जारी आदेश भी जांच किया जाता
है। निर्णय जूले बेंचकोर्ट में हुआ
गया। पत्राली निर्णय सुमा एवक नम्बर
न कम होकर दाखिल दफ्तर है।

कै. नि.

जायलाल
पत्राली पत्र
Rw

Rw
20/6/18
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भावरा (हनु.)